

**उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़**  
**आदेश पत्रक**

भू—वापसी अपील वाद संख्या—12/2012

नारायण मुण्डा वगौ० बनाम् भिखारी महतो एवं राज्य

आदेश की क्रम  
संख्या और  
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई<sup>1</sup>  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख

19-02-2021

—:: आदेश ::—

अभिलेख उपस्थापित। आयुक्त का न्यायालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग में दायर भू—वापसी पुनरीक्षण संख्या—79/2009 नारायण मुण्डा एवं अन्य बनाम् परमेश्वर चौधरी एवं अन्य में दिनांक—05.06.2012 को पारित आदेश द्वारा प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किये जाने के फलस्वरूप वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर सुनवाई की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है।

सम्बन्धित वाद में प्रश्नगत भूमि मौजा—दुरगी, थाना—पतरातू, खाता नं0—06, प्लॉट सं0—475, कुल रकबा—2.46 एकड़ मध्य रकबा—0.14 एकड़ भूमि के बाबत छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम—1908 की धारा—46(4)(a) के अन्तर्गत भू—वापसी दायर वाद में पारित आदेश के विरुद्ध आयुक्त का न्यायालय, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग द्वारा प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) करते हुए “बेदखली के बिन्दु पर आवश्यक आदेश पारित” करने के संदर्भ में निर्देशित किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा—दुरगी, थाना—पतरातू, खाता नं0—06, प्लॉट सं0—475, कुल रकबा—2.46 एकड़ मध्य रकबा—0.14 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में केतरा पाहन वगौ० के नाम से दर्ज है, जो अपीलार्थीगण के पूर्वज है तथा प्रश्नगत भूमि अपीलार्थीगण के हिस्से की भूमि है, जिसकी जमाबन्दी रजस्व पंजी—II के पृष्ठ संख्या—113 भोलूम—I पर कायम है तथा लगान रसीद निर्गत है। इनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत भूमि से अपीलार्थी लगभग 07—08 वर्षों से बेदखल है। इन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

**विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता** का कहना है कि मौजा—दुरगी, थाना—पतरातू, खाता नं०—०६, प्लॉट सं०—४७५, कुल रकबा—२.४६ एकड़ मध्य रकबा—०.१४ एकड़ भूमि सर्वे खतियान में केतरा पाहन एवं दरबारी पाहन एक हिस्सा वो शनिचरवा पाहन वो खेँटा पाहन वो भूखला वो शंकर वो सोमरा पाहन पाँच हिस्सा के नाम से दर्ज है। इनका यह भी कहना है कि विपक्षी के पिता कुंजन महतो द्वारा वर्ष—१९४२ ई० में उचित मूल्य अदा कर खतियानी रैयत दरबारी पाहन का पुत्र डिबरा पाहन वो शंकर पाहन का पुत्र जानकी पाहन वो मानकी पाहन से अनिबंधित बिक्रिय—पत्र से मौजा—दुरगी, थाना—पतरातू, खाता नं०—०६, प्लॉट सं०—४७५, रकबा—०.१४ एकड़ भूमि प्राप्त कर दखलकार चले आ रहा है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम—१९०८ अन्तर्गत निहित प्रावधान के तहत निर्धारित समयावधि अर्थात् १२ वर्ष के पश्चात् भू—वापसी वाद अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया है, जो पोषणीय नहीं है। इन्होंने अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश को यथावत रखने हेतु अनुरोध किया है।

**सरकारी अधिवक्ता** का कहना है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम—१९०८ की धारा—४६(४A) में उल्लेखित है कि "The Deputy Commissioner may, of his own motion or on an application filed before him by an occupancy-Raiyat, who is a member of the Scheduled Tribes, for annulling the transfer on the ground that the transfer was made in contravention of clause (a) of the second proviso to sub-section (1), hold and inquiry in the prescribed manner to determine if the transfer has been made in contravention of clause (a) of the second proviso to sub-section (1) :

Provided that no such application be entertained by the Deputy Commissioner unless it is filed by the occupancy-tenant within a period of twelve years from the date of transfer of his holding or any portion thereof :

Provided further that before passing any order under clause (b) or clause (C) of this sub-section, the Deputy Commissioner shall give the parties concerned a reasonable opportunity to be heard in the matter."

**अंचल अधिकारी, पतरातू** का पत्रांक—२२३, दिनांक—२६.०२.२००८ द्वारा निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ का न्यायालय) को प्रेषित प्रश्नगत भूमि के वाबत जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि वाद में प्रश्नगत भूमि मौजा—दुरगी, थाना—पतरातू, खाता नं०—०६, प्लॉट सं०—४७५, कुल रकबा—२.४६ एकड़ मध्य रकबा—०.१४ एकड़ भूमि पर विपक्षी का दखल कब्जा लगभग पचीस—तीस वर्षों से है।

**भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर  
भू-वापसी वाद संख्या-39/2007-08 नारायण मुण्डा वगै० बनाम् भिखारी महतो  
में दिनांक-12.07.2008 को पारित आदेश में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की  
धारा-46-4-ए के तहत् दायर भू-वापसी आवेदन को निर्धारित 12 वर्षों के अवधि  
के पश्चात् दायर किये जाने के आधार पर कालबाधित मानते हुए भू-वापसी  
आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।**

अपीलार्थी एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता तथा  
सरकारी अधिवक्ता का बहस सुनने एवं समर्पित कागजातों/निम्न न्यायालय से  
प्राप्त अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

1. प्रश्नगत् भूमि आदिवासी खाते की भूमि है तथा सर्वे खतियान में केतरा  
पाहन एवं दरबारी पाहन एक हिस्सा वो शनिचरवा पाहन वो खैंटा पाहन वो  
भूखला वो शंकर वो सोमरा पाहन पाँच हिस्सा के नाम से दर्ज है तथा  
जमाबन्दी राजस्व पंजी-II के पृष्ठ संख्या-113 भॉलूम-1 पर कायम होकर  
लगान रसीद निर्गत है।
2. अपीलार्थीगण खतियानी रैयत एवं जमाबन्दी रैयत के वंशज हैं, जबकि  
विपक्षी गैर आदिवासी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।
3. विपक्षी प्रश्नगत भूमि अनिवार्यता के बिना के विवरण द्वारा वर्ष-1942 में प्राप्त करने  
का दावा करते हैं।
4. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-46 अन्तर्गत आदिवासी  
खाते की भूमि हस्तान्तरण हेतु उपायुक्त/सक्षम प्राधिकार से अनुमति की  
आवश्यकता है, जबकि आदिवासी खाते की भूमि गैर आदिवासी को  
हस्तान्तरण/बिक्रय का प्रावधान नहीं है।
5. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-46(4A)के तहत्  
उच्छेदित भूमि से रयैत 12 वर्षों की अवधि के अंदर बेदखल है, तभी उक्त  
सुसंगत धारान्तर्गत भू-वापसी की कार्रवाई की जा सकती है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
रामगढ़) द्वारा पारित आदेश से असहमत होने का तार्किक एवं वैध आधार नहीं  
बनता है। ऐसी परिस्थिति में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की  
धारा-46(4-A) के तहत भू-वापसी की कार्रवाई पोषणीय नहीं है, अपीलार्थी द्वारा  
दायर अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इसी आदेश के साथ वाद  
निस्तारित किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख भेजे। संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,  
रामगढ़।

11/02/21  
उपायुक्त,  
रामगढ़।